भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3153
(दिनांक 27.03.2025 को उत्तर के लिए)

सरकारी कार्य के लिए चैटजीपीटी ऐप और इस प्रकार के अन्य ऐप का उपयोग

3153. श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी पत्र लिखने और अन्य रिपोर्ट बनाने के लिए चैटजीपीटी और इस प्रकार के अन्य ऐप का उपयोग कर रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति हैं; और
(ग) क्या गोपनीयता की दृष्टि से इस प्रकार के ऐप का प्रयोग देशहित में है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ.जितेन्द्र सिंह)

(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों द्वारा किसी भी एआई एप्लीकेशन के उपयोग के संबंध में कोई डाटा नहीं रखता है।

(ख) किसी भी सरकारी विभाग द्वारा एआई-आधारित उपकरणों को उपयोग करने तथा अपनाने के संबंध में कोई विशिष्ट निषेध नहीं है क्योंकि यह विभिन्न नागरिक केंद्रित वेब एप्लीकेशन में अपार संभावना युक्त एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है। तथापि, सरकारी पदधारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी डिजिटल प्रौद्योगिकी या प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय लोक सूचना की संरक्षा, सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु पूरा ध्यान रखें तथा सावधानी बरते।

(ग) सरकारी पदधारियों द्वारा किसी भी एप्लीकेशन, उपकरण अथवा वेबसाइट का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), गृह मंत्रालय तथा अन्य संगत प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों तथा विभागीय सुरक्षा अनुदेशों के अनुसार शासित होता है।

******